"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2012—ज्येष्ठ 10, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 15-43/दो-गृह/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से 02 वर्षों के लिए प्रवृत्त होगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 के खण्ड (क) में, शब्द "संचालक, लोक अभियोजन, छत्तीसगढ़" के स्थान पर शब्द "उप संचालक, अभियोजन /जिला अभियोजन अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. अनुसूची-तीन के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—
"टीप :— स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड तीन एवं ए.पी.सी.डी. (बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिये) के पदों की भर्ती के लिये चयन समिति, संबंधित उप संचालक, अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा गठित की जाएगी".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक-एफ 15-43/दो-गृह/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 31-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 31st May 2012

NOTIFICATION

No. F-15-43/Two-Home/2012.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Prosecution Class III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2009. This notification shall come into force for 2 years from the date of 17th January, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of Rule 2, for the words "Director of Public Prosecution Chhattisgarh" the words "Deputy Director Prosecution/District Prosecution Officer" shall be substituted.

2. After Schedule-III, the following Note shall be added, namely :—
"Note :— for the recruitment of the posts of Stenographer, Assistant Grade-III and A.P.C.D. (For the Districts coming under Bastar & Surguja Division), the Selection Committee shall be constituted by the concerned Deputy Director, Prosecution/District Prosecution Officer".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.